राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6217/2024

बिड़ला सीमेंट वर्क्स, (बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक इकाई), चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ (राज.) पावर ऑफ अटॉर्नी धारक श्री सुनील कुमार गादिया पुत्र श्री धनराज गादिया, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी माधवनगर, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) के माध्यम से

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राज.) 302 005 के माध्यम से
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, खान निदेशालय, खनिज भवन, उदयपुर (राज.) 313 001
3. भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय नियंत्रक, माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर (राज.) 305 002 के माध्यम से
4. अधीक्षण खनन अभियंता द्वितीय (प्रमुख), खान एवं भूविज्ञान निदेशालय, खनिज भवन, उदयपुर (राज.) 313 001
5. खनन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, खनिज भवन, सेक्टर-4, गांधी नगर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
6. भारत संघ, सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली 110 003

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री अखिलेश राजपुरोहित एवं श्री हार्दिक व्यास।
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री महावीर बिश्नोई, एएजी श्री गौरव बिश्नोई. श्री सन्नी चौधरी बडियासर, आर-6 के साथ।

माननीय डॉ. जस्टिस नूपुर भाटी

<u>आदेश</u>

<u>रिपोर्ट करने योग्य</u>

30/05/2024

1. याचिकाकर्ता बिरला सीमेंट वर्क्स, बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड की इकाई है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है, ने पर्यावरण मंजूरी (ईसी) के तहत निर्धारित सीमा से अधिक उत्पादन करने के लिए जुर्माना लगाने के लिए प्रतिवादियों द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को अनिवार्य रूप से चुनौती देते हुए तत्काल रिट याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने खनन अभियंता, चित्तौड़गढ़ (प्रतिवादी संख्या 5) द्वारा जारी 26.12.2022 दिनांकित मांग नोटिस (अनुलग्नक 15) को भी चुनौती दी है, जिसमें याचिकाकर्ता पर पर्यावरण मंजूरी के तहत निर्धारित सीमा से अधिक उत्पादन करने के लिए 2,77,05,522/- रुपये का जुर्माना लगाया गया है और याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 03.04.2024 के आदेश (अनुलग्नक 30) को भी चुनौती दी है।

2. इस रिट याचिका के निपटारे के लिए उपयुक्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को चित्तौड़गढ़ तहसील एवं जिला के भेरड़ा, जय, सुरजना एवं नगरी गांव के पास खनिज चूना पत्थर (सीमेंट ग्रेड) के लिए खनन पट्टा संख्या 1081983 जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने खनिज रियायत एवं विकास नियम, 2017 ('नियम 2017') के नियम 45 (5) (बी) (vii) के तहत अनिवार्य रूप से वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अपना ऑनलाइन वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत किया तथा वार्षिक रिटर्न की हार्ड कॉपी क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर को दिनांक 19.06.2019 को अग्रेषित की (अनुलग्नक 1)। वार्षिक रिटर्न में याचिकाकर्ता ने रन ऑफ माइंस (आरओएम) की कुल मात्रा 28,57,780 मीट्रिक टन दर्शाई थी, जो खदान के अस्वीकृत उत्पादन को घटाने के बाद 27,94,980 मीट्रिक टन बताई गई थी।

3. भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम), प्रतिवादी संख्या 3 ने याचिकाकर्ता को 19.11.2019 को एक नोटिस (अनुलग्नक 2) जारी किया, जिसमें उल्लेख किया गया कि 18.10.2019 और 19.10.2019 को याचिकाकर्ता की खदान के निरीक्षण के दौरान 2017 के नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया, विशेष रूप से 2017 के नियमों के नियम 62 का उल्लंघन। नोटिस में यह दावा किया गया था कि नियम 62 का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है और इसका पालन न करने पर नियम 11 (2) के तहत खनन कार्यों को निलंबित किया जाएगा और मुकदमा चलाया जाएगा। इस प्रकार याचिकाकर्ता को 19.11.2019 (अनुलग्नक 2) के नोटिस के तहत उल्लिखित उल्लंघनों को सुधारने के लिए 45 दिनों का समय दिया गया।

4. याचिकाकर्ता ने दिनांक 19.11.2019 के नोटिस (अनुलग्नक 2) के जवाब में 10.12.2019 को अपना जवाब (अनुलग्नक 3) प्रस्तुत किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि 2018-19 के रिटर्न में भाग-V के मद संख्या 4.2 (बी) (आई) के तहत दर्शाई गई 28,57,780 मीट्रिक टन की मात्रा में चूना पत्थर और खनिज रिजेक्ट दोनों शामिल हैं। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वर्ष 2018-19 के दौरान चूना पत्थर का उत्पादन 27,94,980 मीट्रिक टन था और स्पष्ट किया कि रिटर्न के भाग-IV के तहत उल्लिखित डिस्पैच चूना पत्थर उत्पादन था न कि आरओएम (रन ऑफ माइन)।

5. याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 10.12.2019 के उत्तर (अनुलग्नक 3) में लिए गए रुख पर विचार करने के बाद, प्रतिवादी संख्या 3 ने नियम 11 (1) और नियम 31 (4) के बिंदु संख्या 1,2 और 3 के अनुपालन को स्वीकार करते हुए दिनांक 09.01.2020 को कारण बताओ नोटिस (अनुलग्नक 4) जारी किया, हालांकि, यह नियम 11 (1) के बिंदु संख्या 4 के उत्तर से असहमत था। नोटिस में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह देखा गया कि याचिकाकर्ता वर्ष 2018-19 के लिए संशोधित वार्षिक रिटर्न जमा करने में विफल रहा और इस प्रकार नियमों के नियम 11 (1) और नियम 45 (5) का उल्लंघन हुआ, जो बदले में नियम 62 के तहत दंडनीय था, जिसके परिणामस्वरूप नियम 11 (2) के तहत खनन संचालन को निलंबित कर दिया गया और अभियोजन चलाया गया। इस प्रकार, दिनांक 09.01.2020 को नोटिस जारी करके याचिकाकर्ता को तीस दिनों के भीतर औचित्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था कि उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।

6. दिनांक 09.01.2020 के नोटिस (अनुलग्नक 4) के जवाब में, याचिकाकर्ता ने 28.01.2020 को वर्ष 2018-19 के लिए रिटर्न (अनुलग्नक 5) प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता ने अपने जवाब में प्रस्तुत किया कि आरओएम अयस्क उत्पादन की कुल मात्रा 28,57,780 मीट्रिक टन है और दलील दी कि चूना पत्थर के लिए उत्पन्न अस्वीकृत खनिज की मात्रा मद संख्या 4.2 (बी) (ii) (ए) के तहत 62800 मीट्रिक टन बताई गई थी और उत्पादन का विवरण भाग VI के तहत उल्लेख किया गया था। याचिकाकर्ता ने सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर के उत्पादन और प्रेषण का विवरण 27,94,980 मीट्रिक टन प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पहले के रिटर्न में, खदान हेड पर आरओएम अयस्क का उत्पादन अनजाने में 27,94,980 मीट्रिक टन दिखाया गया था और इसे संशोधित कर 28,57,780 मीट्रिक टन कर दिया गया था, हालांकि, चूना पत्थर/प्रेषण का उत्पादन 27,94,980 मीट्रिक टन दिखाया गया था। याचिकाकर्ता ने संशोधित रिटर्न

जमा करने के बाद 09.01.2020 को नोटिस का जवाब पेश किया। याचिकाकर्ता ने 28.01.2020 (अनुलग्नक 6) के जवाब में कारण बताओ नोटिस में बताए गए उल्लंघन के लिए अपना रुख स्पष्ट किया। याचिकाकर्ता ने कहा कि ईसी के तहत चूना पत्थर के लिए उत्पादन की सीमा 28,24,000 मीट्रिक टन है और याचिकाकर्ता ने वर्ष 2018-19 में 27,94,980 मीट्रिक टन का उत्पादन किया है, जो याचिकाकर्ता के अनुसार ईसी के तहत निर्धारित सीमा के भीतर था। इस बात पर भी जोर दिया गया कि खनिज क्षेत्र से उत्पादित कुल आरओएम की मात्रा 28,57,780 मीट्रिक टन है, जबकि प्रस्तुत किया गया कि क्रशर ने 62800 मीट्रिक टन को अस्वीकृत कर दिया और केवल 27,94,980 मीट्रिक टन चूना पत्थर के रूप में भेजा गया। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने अपना रुख स्पष्ट किया कि वर्ष 2018-19 के लिए ईसी चूना पत्थर के उत्पादन के लिए निर्धारित सीमित मात्रा के साथ जारी किया गया था, न कि खदान चलाने के लिए और इस प्रकार याचिकाकर्ता ने निर्धारित सीमा से अधिक उत्पादन नहीं किया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 3 ने याचिकाकर्ता द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण पर विचार नहीं किया है और निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग को संबोधित अपने पत्र दिनांक 04.05.2020 (अनुलग्नक 7) के माध्यम से अतिरिक्त उत्पादन के लिए जुर्माना लगाने का अनुरोध किया है।

7. तत्पश्चात, अधीक्षण खनिज अभियंता-II (प्रमुख), प्रतिवादी संख्या 4 ने दिनांक 10.07.2020 को एक पत्र लिखा (अनुलग्नक 8) जिसके साथ उसने दिनांक 04.05.2020 के पत्र को प्रतिवादी संख्या 5, खनि अभियंता, चित्तौड़गढ़ को जांच के बाद टिप्पणी प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ अग्रेषित किया। तत्पश्चात खनि अभियंता, चित्तौड़गढ़ ने दिनांक 10.07.2020 के पत्र के जवाब में दिनांक 01.02.2022 को अपना पत्र लिखा (अनुलग्नक 9) जिसमें एसएमई-II को दावा किया गया कि याचिकाकर्ता ने जय ब्लॉक के लिए कुल खनिज उत्पादन (आरओएम) के रूप में 28,50,288 मीट्रिक टन जुटाया है, जबकि ईसी के तहत निर्धारित वार्षिक सीमा 28,00,000 मीट्रिक टन है, जो 50,288 मीट्रिक टन था, जो ईसी के तहत निर्धारित सीमा से अधिक था। इस प्रकार खनन अभियंता ने अतिरिक्त उत्पादन (50,288 मीट्रिक टन) पर जुर्माना लगाने की सिफारिश की।

8. इसके बाद अधीक्षण खनि अभियंता-II (प्रमुख) ने अपने पत्र दिनांक 18.02.2022 (अनुलग्नक 10) के माध्यम से खनि अभियंता, चित्तौड़गढ़ को सूचित किया कि आईबीएम ने केवल वर्ष 2018-19 के लिए ईसी सीमा से अधिक खनिज

उत्पादन की जांच की है और शेष वर्षों की जांच नहीं की है और इस प्रकार वर्ष 1994 से उत्पादन की जांच करने और वर्षवार रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

9. इसके बाद एमई, चित्तौड़गढ़ ने अपने प्रतिक्रिया पत्र दिनांक 07.03.2022 (अनुलग्नक 11) के माध्यम से एसएमई को वर्ष 1994-95 से 2020-21 के लिए वर्षवार उत्पादन का विवरण अवगत कराया। उत्तर में एमई, चित्तौड़गढ़ ने दावा किया कि याचिकाकर्ता ने 2004-05 से 2018-19 की अवधि के लिए ईसी के तहत अनुमेय मात्रा से 1,05,618 मीट्रिक टन अधिक रोम का उत्पादन किया है। एसएमई-II (प्रमुख) ने अपने पत्र दिनांक 29.04.2022 (अनुलग्नक 12) के माध्यम से एमई, चित्तौड़गढ़ को खनिज की कीमत की गणना करने और अद्यतन करने का निर्देश दिया। इसके बाद एम.ई., चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र दिनांक 18.08.2022 (अनुलग्नक 13) के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 2 को अतिरिक्त उत्पादन के लिए जुर्माना राशि के साथ लागू आई.बी.एम. दरें प्रस्तुत कीं और जुर्माना राशि 2,77,05,522/- रुपये निर्धारित की। इसके बाद एस.एम.ई.-II (मेजर) ने एम.ई., चित्तौड़गढ़ को अपने पत्र दिनांक 29.08.2022 (अनुलग्नक 14) के माध्यम से याचिकाकर्ता से जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया।

10. इसके बाद एमई, चित्तौड़गढ़ ने दिनांक 26.12.2022 (अनुलग्नक 15) को एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें याचिकाकर्ता को साठ दिनों की अवधि के भीतर 2,77,05,522/- रुपये की जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया गया, ऐसा न करने पर सुरक्षा जमा जब्त कर लिया जाएगा और खदान का पट्टा भी रद्द कर दिया जाएगा।

11. याचिकाकर्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने की पूरी प्रक्रिया इस बहाने से की गई है कि याचिकाकर्ता ने ईसी के तहत निर्धारित सीमा से अधिक रन ऑफ माइन उत्पादन किया था। याचिकाकर्ता ने वर्ष 2004-05 से 2006-07 और 2018-19 के लिए लागू ईसी/एस का उल्लेख किया है और 29.07.2004 के अनुलग्नक 16 को संलग्न किया है और वर्ष 2018-19 के लिए 17.09.2007 के ईसी की प्रति अनुलग्नक 17 है। याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी की गई ईसी (सी) पर भरोसा करते हुए, यह दावा किया गया है कि उक्त अवधि के लिए वार्षिक उत्पादन के लिए निर्धारित सीमा केवल चूना पत्थर के उत्पादन के लिए थी, न कि रन ऑफ माइन के लिए और, इस प्रकार प्रतिवादियों ने रन ऑफ माइन को उत्पादन के लिए निर्धारित सीमा के रूप में गलत समझा है और इस प्रकार याचिकाकर्ता पर दिनांक 26.12.2022 के नोटिस (अनुलग्नक 15) के तहत जुर्माना लगाने में गलती की है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वर्ष 2018 के लिए लागू

ईसी के तहत वार्षिक उत्पादन की सीमा चूना पत्थर के लिए लगाई गई है, न कि रन ऑफ माइन के लिए।

12. याचिकाकर्ता ने दिनांक 26.12.2022 के आक्षेपित मांग नोटिस (अनुलग्नक 15) से व्यथित होकर शुरू में इस न्यायालय के समक्ष एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 1881/2023 के रूप में एक रिट याचिका पेश की, हालांकि, रिट याचिका का जवाब दाखिल करने के बाद, जिसमें प्रतिवादियों ने खान न्यायाधिकरण के समक्ष पुनरीक्षण के वैकल्पिक और प्रभावकारी उपाय की उपलब्धता के मद्देनजर याचिका की स्थिरता के संबंध में आपत्ति उठाई, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04.04.2023 के आदेश द्वारा रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया और याचिकाकर्ता को पुनरीक्षण के उपाय का लाभ उठाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इसके बाद याचिकाकर्ता ने पुनरीक्षण प्राधिकरण के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका (अनुलग्नक 26) पेश की और प्रतिवादी विभाग द्वारा पुनरीक्षण याचिका का जवाब भी दाखिल किया गया और याचिकाकर्ता द्वारा जवाब का प्रत्युत्तर भी दाखिल किया गया।

13. संशोधन प्राधिकरण यानी खान न्यायाधिकरण ने इसके बाद अंततः पक्षों की दलीलें सुनीं और दलीलों पर विचार करते हुए अपने दिनांक 03.04.2024 के आदेश (अनुलग्नक 30) के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर संशोधन को खारिज कर दिया। इस प्रकार, दिनांक 26.12.2022 के आक्षेपित मांग नोटिस (अनुलग्नक 15) और दिनांक 03.04.2024 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक 3) से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है।

14. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि दिनांक 26.11.2022 (अनुलग्नक 15) की आक्षेपित मांग जारी करने से पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और सीधे याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के तहत निर्धारित सीमा से अधिक कथित अतिरिक्त उत्पादन के लिए मांग लगाई गई। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि प्रतिवादियों ने वैधानिक प्रावधानों की गलत व्याख्या करके गलती की है, क्योंकि यह जुर्माना लगाने योग्य अतिरिक्त उत्खनन का मामला नहीं था। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि कुल मिलाकर याचिकाकर्ता के पास खनिज चूना पत्थर के लिए 28,24,000 मीट्रिक टन उत्पादन के लिए ईसी है, हालांकि, प्रतिवादियों ने आरओएम को चूना पत्थर के उत्पादन के रूप में गलत तरीके से मानने में गलती की है, जिसमें खनन योजना की योजना के अनुसार क्रशर रिजेक्ट भी शामिल है। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि 'चूना पत्थर का उत्पादन' आरओएम से

क्रशर रिजेक्ट को घटाने के बाद गणना की जानी है और चूना पत्थर का उत्पादन प्रेषण ईसी सीमा के भीतर है, अगर इसकी गणना आरओएम से रिजेक्ट को घटाने के बाद की जाती है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस प्रकार प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों ने खनिज के उत्पादन की गणना के उद्देश्य से क्रशर रिजेक्ट को गलत तरीके से शामिल किया है।

15. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अनुलग्नक 21, जो उत्पादन प्रमाण पत्र है, पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया कि कुल उत्पादन याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी पर्यावरण मंजूरी के तहत निर्धारित सीमा के भीतर था। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि खनन क्षेत्र से निकाले गए खनिजों और अतिरिक्त भार को छोड़कर रन ऑफ माइंस का हिस्सा चूना पत्थर है और उत्पादन के लिए निर्धारित सीमा की व्याख्या करने के लिए उक्त सादृश्य को अपनाना आवश्यक है। याचिकाकर्ता को दी गई पर्यावरण मंजूरी की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पर्यावरण मंजूरी चूना पत्थर की 2.8 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन क्षमता प्रदान करती है, न कि आरओएम उत्पादन के लिए। याचिकाकर्ता के वकील ने वन्डर सीमेंट नामक अन्य सीमेंट कंपनी के पक्ष में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई पर्यावरण मंजूरी का भी उल्लेख किया, विशेष रूप से इसके पैरा 9 का, जो आरओएम उत्पादन के लिए था।

16. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि उठाई गई आक्षेपित मांग मनमानी और अनुचित है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि यह वंडर सीमेंट के मामले की तरह भेदभावपूर्ण है, चूना पत्थर के उत्पादन की गणना के लिए अपनाया गया पैमाना अलग है और याचिकाकर्ता के लिए जुर्माना लगाने की गणना की विधि पूरी तरह से अलग है। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता और वंडर सीमेंट के पक्ष में जारी ईसी की भाषा की गलत व्याख्या की है। अपने तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने बीजीआर एनर्जी सिस्टम बनाम सहायक आयुक्त, एसबी बिक्री कर संशोधन/संदर्भ संख्या 217/2020 दिनांक 21.12.2023 में इस न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया।

17. याचिकाकर्ता के वकील ने आगे कहा कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता के पक्ष में उनके द्वारा जारी किए गए उत्पादन प्रमाण पत्र और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए ईसी और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों में निहित भाषा पर विचार करने में विफल रहे हैं। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है क्योंकि प्रतिवादी राज्य ने याचिकाकर्ता को कोई नोटिस

नहीं दिया है और इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना, प्रतिवादियों ने दिनांक 26.12.2022 का आक्षेपित मांग नोटिस (अनुलग्नक 15) पारित किया है।

18. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश सरकार एवं अन्य : (2008) 16 एससीसी 276, सहारा इंडिया बनाम आयकर आयुक्त : (2008) 14 एससीसी 15 और मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बनाम तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एवं अन्य : (2023) 8 एससीसी 240 में पारित निर्णयों पर भरोसा किया।

19. दूसरी ओर प्रतिवादी सं. 1, 2, 4 एवं 5, खनन विभाग के अधिकारियों ने रिट याचिका पर जवाब दाखिल किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पूर्व में याचिकाकर्ता ने उत्पादित खनिज की समान मात्रा में प्रेषित खनिज की मात्रा दर्शाते हुए त्रुटिपूर्ण रिटर्न प्रस्तुत किया था, जबकि रिटर्न के मद सं. 4.2 (बी) (ii) (ए) में 62800 टन ग्रेड (टन) के साथ उत्पन्न खनिज अस्वीकृत का उल्लेख किया गया है तथा इसका ग्रेड <60% दर्शाया गया है, जो खनन पट्टे से उत्खनित चूना पत्थर है, अतः उत्पादन में चूना पत्थर को शामिल न करना स्वीकार्य नहीं था। आईबीएम के दिनांक 04.05.2020 के संचार पर विचार करते हुए, खनन अभियंता, चित्तौड़गढ़ ने मामले की जांच की और पाया कि जय ब्लॉक के लिए ईसी दिनांक 17.09.2007 को 28,00,000 मीट्रिक टन खनिज चूना पत्थर के वार्षिक उत्पादन के लिए जारी किया गया था और याचिकाकर्ता ने वैधानिक नियमों का उल्लंघन करते हुए 28,50,288 मीट्रिक टन अतिरिक्त खनिज का उत्पादन किया था, और इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ मांग सही ढंग से उठाई गई है। विद्वान एएजी ने यह भी प्रस्तुत किया कि जहां तक भेरदा ब्लॉक का संबंध है, ईसी दिनांक 25.09.2007 को 24,000 टन खनिज के वार्षिक उत्पादन के लिए जारी किया गया था, हालांकि, और 7492 टन खनिज का उत्पादन किया गया था और इस प्रकार याचिकाकर्ता पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था।

20. प्रतिवादियों ने आगे कहा है कि वर्ष 2004-05 से 2006-07 और 2018-19 के दौरान याचिकाकर्ता ने ईसी के तहत निर्धारित सीमा से अधिक खनिज चूना पत्थर का उत्पादन किया और इस प्रकार याचिकाकर्ता ने खनन पट्टा समझौते की शर्तों और वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। प्रतिवादियों ने एमएमडीआर अधिनियम की धारा 3 (एफए) पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया है कि शब्द 'उत्पादन' को प्रसंस्करण या प्रेषण के उद्देश्य से पट्टे वाले क्षेत्र के भीतर खनिज जीतने या उठाने के रूप में परिभाषित किया गया है और याचिकाकर्ता ने

प्रसंस्करण और प्रेषण के लिए खनिज चूना पत्थर का उत्खनन किया है, जिसमें क्रशर रिजेक्ट शामिल है। चूना पत्थर प्रसंस्करण में चूना पत्थर क्रशिंग स्क्रीनिंग आदि शामिल हैं और क्रशिंग स्क्रीनिंग के बाद, उपयोग योग्य चूना पत्थर को सीमेंट निर्माण के लिए संसाधित किया जाता है और क्रशर स्क्रीनिंग रिजेक्ट को भविष्य में उपयोग के लिए स्टॉक किया जाता है। यह भी दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष में जारी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के तहत निर्धारित सीमा से अधिक 57780 मीट्रिक टन खनिज चूना पत्थर का उत्खनन किया है, इसलिए पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के तहत निर्धारित सीमा से अधिक 57780 मीट्रिक टन खनिज का उत्खनन किए जाने के कारण याचिकाकर्ता को दंडित किया जाना उचित है।

21. प्रतिवादियों ने आगे कहा है कि स्वीकृत खनन योजना के अनुसार, खनिज के कुल उत्खनन से ओवरबर्डन अलग है और शेष सामग्री को क्रशर में भेजा जाता है, जबकि खदान बोल्डर का आकार कम किया जाता है, जिससे कोई अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि केवल आकार कम होता है और -12 मिमी आकार के खदान बोल्डर को पट्टाधारक द्वारा भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहीत किया जाता है। इस प्रकार, अनिवार्य रूप से अस्वीकृत भी चूना पत्थर है और खनन पट्टे से उत्पादित होता है, जो उपयोग योग्य है।

22. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने ईसी के तहत निर्धारित सीमा से अधिक उत्पादन किया है और याचिकाकर्ता अनिवार्य रूप से ईसी के तहत निर्धारित सीमा से परे उसके द्वारा किए जा रहे स्वीकार किए गए अतिरिक्त उत्पादन को उचित ठहराने का प्रयास कर रहा है। प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स के मामले में निर्णय पर भरोसा किया: (2019) 11 एससीसी 674।

23. मैंने पक्षकारों के वकीलों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है तथा पक्षकारों के वकीलों द्वारा दिए गए निर्णयों का अवलोकन किया है।

24. इस न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादियों ने 19.11.2019 को याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने 2017 के नियम 11 (1), 31 (4) तथा 45 (7) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने अन्य आरोपों के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके पक्ष में जारी पर्यावरण मंजूरी के तहत निर्धारित सीमा से अधिक खनिज का उत्खनन किया है। यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 09.01.2020 (अनुलग्नक

4) को उक्त नोटिस का उत्तर दाखिल किया और उसके बाद याचिकाकर्ता को एक और नोटिस जारी किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता का उत्तर लगाए गए सभी आरोपों के संबंध में संतोषजनक पाया गया, सिवाय इस आरोप के कि याचिकाकर्ता ने प्रश्नगत खनिज का अत्यधिक उत्खनन किया है। याचिकाकर्ता ने फिर से कारण बताओ नोटिस का विस्तृत उत्तर दाखिल किया था, हालांकि, याचिकाकर्ता खनिज चूना पत्थर के अत्यधिक उत्खनन के संबंध में संतोषजनक उत्तर देने में असमर्थ था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 28.01.2020 का उत्तर (अनुलग्नक 6) रिकॉर्ड में रखा है, जो दिनांक 19.11.2019 और 08.01.2020 के पत्रों के जवाब में था, जिसमें याचिकाकर्ता ने स्वयं स्वीकार किया है कि वर्ष 2018-19 के लिए प्रस्तुत वार्षिक रिटर्न में भाग-V के आइटम 4.2 (बी) (आई) के तहत रिपोर्ट के अनुसार उसका आरओएम उत्पादन 28,57,780 मीट्रिक टन बढ़ा है।

25. दिनांक 28.01.2020 के उक्त उत्तर (अनुलग्नक 6) के अवलोकन पर, यद्यपि याचिकाकर्ता ने सहमति व्यक्त की है कि उसका आरओएम उत्पादन बढ़ा दिया गया है, लेकिन बाद के पैराग्राफ में, याचिकाकर्ता ने उक्त अतिरिक्त उत्पादन को उचित ठहराने का प्रयास किया है। याचिकाकर्ता ने यह मामला बनाने का प्रयास किया है कि प्रतिवादियों ने 2017 के नियमों की धारा (3 एफ.ए.) के तहत निर्धारित 'उत्पादन' की परिभाषा और खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) रियायत नियम, 2016 (2016 के नियम) के तहत निर्धारित 'रन ऑफ माइन' की परिभाषा को गलत तरीके से समझा है।

26. एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 3 (एफए) के तहत 'उत्पादन' और 2016 के नियम 2 (1) (एफ) के तहत 'रन ऑफ माइन' की परिभाषा निम्नानुसार है:

> "3 (fa). 'उत्पादन' या 'उत्पादन' शब्द के किसी व्युत्पन्न का अर्थ है प्रसंस्करण या प्रेषण के उद्देश्य से पट्टे पर दिए गए क्षेत्र के भीतर खनिज प्राप्त करना या उठाना।
>
> 2 (1) (f). 'रन ऑफ माइन' का अर्थ है पट्टे पर दिए गए क्षेत्र के खनिज क्षेत्र से विस्फोट, खुदाई के बाद प्राप्त प्राकृतिक अवस्था में कच्चा, अप्रसंस्कृत या बिना कुचला हुआ पदार्थ।"

27. नियम 2017 के नियम 3 (1) (एस) के तहत निर्धारित 'खनिज अस्वीकृत' की परिभाषा भी निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत की गई है:

"3 (1) (s). 'खनिज अस्वीकृत' में वे सभी उत्खनित सामग्री शामिल हैं जो उपयोगी सामग्री नहीं हैं, जिन्हें ग्रेड या आकार के आधार पर अस्वीकृत किया जा सकता है।"

28. इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के इस तर्क पर भी विचार किया कि 'खनिज अस्वीकृत' की परिभाषा के अनुसार, उत्खनित सामग्री, जो उपयोगी सामग्री नहीं है, को 'खनिज अस्वीकृत' माना जाना चाहिए और प्रतिवादियों ने गलत तरीके से आरओएम को चूना पत्थर का उत्पादन माना है, जबकि इसे खनिज अस्वीकृत/क्रशर अस्वीकृत माना जाना चाहिए था। यह देखा गया है कि प्रतिवादी संख्या 6 ने चूना पत्थर के उत्पादन के लिए वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के लिए याचिकाकर्ता के पक्ष में 29.07.2004 को ईसी जारी किया और मात्रा 2.4 एमटीपीए निर्धारित की गई। वर्ष 2018-19 के लिए, एमओईएफसीसी ने याचिकाकर्ता के पक्ष में 17.09.2007 को ईसी जारी किया, जिसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि परियोजना प्रस्तावक खदान से वार्षिक चूना पत्थर उत्पादन 2.8 मिलियन टन से अधिक नहीं करेगा। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से, इस न्यायालय को पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने खनिज चूना पत्थर का उत्खनन ईसी के तहत निर्धारित सीमा से अधिक किया है।

29. इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता का यह तर्क कि दिनांक 26.12.2022 के आक्षेपित मांग नोटिस/आदेश (अनुलग्नक 15) जारी करने से पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया, मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 3 आईबीएम द्वारा अनेक नोटिस दिए गए हैं, हालांकि, याचिकाकर्ता प्रतिवादियों के समक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि उसने खनिज चूना पत्थर का अधिक उत्पादन नहीं किया है। प्रतिवादी संख्या 3 आईबीएम द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों अर्थात दिनांक 19.11.2019 के नोटिस (अनुलग्नक 2) और दिनांक 04.05.2020 के पत्र (अनुलग्नक 7) के अवलोकन से यह पता चलता है कि प्रतिवादी संख्या 3 आईबीएम ने प्रतिवादी राज्य को याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही करने का स्पष्ट निर्देश दिया था क्योंकि याचिकाकर्ता यह संतुष्ट करने में असमर्थ था कि उसने अधिक उत्पादन नहीं किया है और साथ ही तदनुसार जुर्माना वसूलने का भी निर्देश दिया था। चूंकि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा याचिकाकर्ता को पहले ही कई नोटिस और सुनवाई का अवसर दिया जा चुका है, इसलिए सुनवाई का कोई और अवसर आवश्यक नहीं था, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष जवाब दाखिल करके याचिकाकर्ता किसी भी समय

अपने पक्ष में मामला बनाने में सक्षम नहीं था और याचिकाकर्ता के विद्वान वकील अदालत के समक्ष कानून के प्रासंगिक प्रावधान को प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं थे जिसके तहत प्रतिवादी राज्य को याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करने की आवश्यकता थी।

30. यह देखा गया है कि प्रतिवादी-खनन विभाग ने प्रस्तुत उत्तर में प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा खनन योजना और प्रगतिशील खदान बंद करने की योजना को मंजूरी देते हुए जारी किए गए दिनांक 23.05.2003 के आदेश के पैरा 10 (ए) पर भरोसा किया है, जबकि प्रस्तुत किया है कि पैरा 10 (1) के मात्र अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता सीमेंट के उत्पादन के लिए +12 मिमी आकार के चूना पत्थर और क्रशर रिजेक्ट के रूप में स्टॉक में अलग से -12 मिमी आकार के चूना पत्थर का उपयोग कर रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि क्रशर रिजेक्ट की रासायनिक जांच में पाया गया है कि रिजेक्ट में 60% CaCo3 है और आईबीएम, अजमेर, सीडीई एशिया और डेरिक कॉर्पोरेशन, यूएसए द्वारा किए गए बेंच स्केल अध्ययन में 70% प्राप्त करने योग्य खनिज का उल्लेख किया गया है। इस न्यायालय को प्रतिवादियों के वकील द्वारा प्रस्तुत इस दलील में काफी दम नज़र आता है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने खनन योजना में रिजेक्ट को अपग्रेड करने के लिए वाशिंग प्लांट लगाने का भी प्रस्ताव दिया है, इसलिए उक्त 'खनन रिजेक्ट'/अपशिष्ट का उपयोग याचिकाकर्ता द्वारा सीमेंट निर्माण में किया जाता है। याचिकाकर्ता का यह तर्क कि 'खनिज रिजेक्ट' उसके लिए किसी काम का नहीं है, मान्य नहीं है और ईसी के तहत निर्धारित सीमा से अधिक उत्खनित खनिज चूना पत्थर के लिए याचिकाकर्ता को सही रूप से दोषी ठहराया गया है और इसलिए वह जुर्माना भरने के लिए उत्तरदायी है।

31. यह न्यायालय पाता है कि पुनरीक्षण प्राधिकरण ने अपने दिनांक 03.04.2024 के आदेश (अनुलग्नक 30) में पाया है कि याचिकाकर्ता खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 2 (viia) के तहत प्रदान की गई 'ROM' की परिभाषा पर भरोसा कर रहा है, जबकि दिनांक 04.06.2016 के नोटिस के प्रकाशन के बाद, खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) रियायत नियम, 2016 लागू हो गए हैं और 'ROM' की परिभाषा को 2016 के नियमों के अनुसार लागू किया जाना है। 1960 के नियमों और 2016 के नियमों के तहत निर्धारित 'ROM' की परिभाषा इस प्रकार है:

<u>1960 के नियमों के तहत ‘ROM’ की परिभाषा:</u>

"लीज़ क्षेत्र के खनिज क्षेत्र से ब्लास्टिंग, खुदाई, कटाई या स्क्रैपिंग के बाद प्राप्त प्राकृतिक अवस्था में कच्चा, अप्रसंस्कृत या बिना कुचला हुआ पदार्थ।"

<u>2016 के नियमों के तहत 'ROM' की परिभाषा:</u>

"लीज़ क्षेत्र के खनिज क्षेत्र से ब्लास्टिंग या खुदाई के बाद प्राप्त प्राकृतिक अवस्था में कच्चा, अप्रसंस्कृत या बिना कुचला हुआ पदार्थ।"

32. यह न्यायालय पाता है कि 2016 के नियमों के तहत निर्धारित 'आरओएम' की परिभाषा की बारीकी से जांच में बहुत स्पष्ट रूप से 'कच्ची, अप्रसंस्कृत या बिना कुचली सामग्री अपनी प्राकृतिक अवस्था में शामिल है, जिसे लीज क्षेत्र से विस्फोट या खुदाई के बाद प्राप्त किया गया है और इस प्रकार कोई भी सामग्री, जो विस्फोट या खुदाई के बाद प्राप्त की गई है' और कच्ची, अप्रसंस्कृत या बिना कुचली सामग्री को 'आरओएम' की परिभाषा के तहत समझा जाना चाहिए, न कि 'खनिज अस्वीकार' की परिभाषा के तहत; और याचिकाकर्ता खनिज चूना पत्थर का उपयोग कर रहा है, जिसका दावा उसके द्वारा खनिज अस्वीकार के रूप में किया गया है, सीमेंट के उत्पादन के लिए। पुनरीक्षण प्राधिकरण ने अपने विवेक का प्रयोग करने तथा उसके समक्ष प्रस्तुत सभी सामग्रियों की जांच करने के पश्चात यह माना है कि चूना पत्थर के साथ-साथ 'खनिज अपशिष्ट' भी उत्पादन का हिस्सा है, जिसका उपयोग याचिकाकर्ता द्वारा सीमेंट निर्माण में किया जाता है, तथा इसलिए याचिकाकर्ता का यह तर्क कि चूना पत्थर के उत्पादन की गणना आरओएम से कुचले हुए अपशिष्ट को घटाने के पश्चात की जानी है, 2016 के नियमों तथा 2017 के नियमों के अंतर्गत निर्धारित क्रमशः 'आरओएम' तथा 'खनिज अपशिष्ट' की परिभाषाओं के विपरीत पाया गया है।

33. इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता का तर्क बिल्कुल गलत और भ्रामक है, क्योंकि 'खनिज अस्वीकृत' की परिभाषा उत्खनित सामग्री पर लागू की जा सकती है जो उपयोगी सामग्री नहीं है। हालांकि, वर्तमान मामले में, उत्खनित सामग्री यानी याचिकाकर्ता द्वारा विधिवत उत्खनित चूना पत्थर का उपयोग याचिकाकर्ता द्वारा सीमेंट निर्माण के उद्देश्य से किया जा रहा है और इस प्रकार इसे याचिकाकर्ता के लिए उपयोगी सामग्री नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता पर उसके द्वारा किए गए ईसी के तहत निर्धारित सीमा से अधिक उत्पादन के लिए 2,77,05,522/- रुपये का जुर्माना लगाना उचित

था और पुनरीक्षण प्राधिकरण ने दिनांक 03.04.2024 के आदेश (अनुलग्नक 30) को पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

34. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, खनन अभियंता, चित्तौड़गढ़ द्वारा जारी दिनांक 26.12.2022 (अनुलग्नक 15) और पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 03.04.2024 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक 30) में इस न्यायालय द्वारा तत्काल रिट याचिका में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

35. तदनुसार, रिट याचिका और स्थगन याचिका भी खारिज की जाती है। कोई लागत नहीं।

(डॉ. नूपुर भाटी),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।